तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

23.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत साठ दिवस के नोटिस प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गये लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा न तो देय राशि का भुगतान किया गया ना ही नोटिस का जवाब दिया गया। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों यथा रजि. रसीदें एवं रजि. डाक के ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत वित्त मंत्रालय(वित्तीय संवाएं विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.02.2020 एवं 12.02.2021 के अनुसार "भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड च में यथा निर्धारित एक सौ करोड़ रूपये या उससे अधिक आस्ति वाली ऐसी गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनिया जो बीस लाख रूपये और उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणों के संबंध में प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए हकदार होंगी।" प्रकरण में स्वीकृत ऋण राशि 10,00,000 रूपये(दस लाख रूपये) हैं। एवं प्रार्थी के अनुसार बकाया व देय राशि 11,32,252 रूपये हैं जबकि भारत सरकार की अधिसूचना अनुसार बीस लाख या उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणों के संबंध में ही प्रतिभूत हित को लागू करवाने के लिए वित्तीय संस्था विनिर्दिष्ट की गयी हैं। ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 23.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:41:18 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
I.A.S.
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)